भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@nic.in

पत्र सं0 : 8बी / यू0पी0 / 06 / 292 / 2022 / एफ.सी. / 697 दिनॉक: 23.11.2022

सेवा में,

अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/121267/2021

विषयः जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के अन्तर्गत मदई अरार से मकरीबारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी0 0.00 से 40.150 तक के मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 18.09 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर में किमी0 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 0.4293 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं शून्य वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 18.5193 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–पी–328 / 81–2–2022–800(348) / 2022, लखनऊ, दिनांक–28.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके–

1. Approval of the Standing Committee of National Board for the Wildlife(NBWL) is required.
2. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted. An undertaking needs to be submitted by User Agency that no muck shall be disposed off in Forest land.
3. Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.
4. The patches proposed for CA need to be compact (at least 5 ha.) and should be contiguous to forest land.
5. As per the GIS DSS demarcation of the area proposed for diversion is undervalued. Some parts of the forest block in .kml file has been demarcated as Non Forest Land. This needs rectification.
6. As per the proposal CA land has been proposed in Non Forest Land. But according the GIS DSS out of six patches four patches (Khasra no. 718 Ga, 719 ka, 768 Ga, 541 Ka) of the proposed CA land polygon partially fall under the forest block. This needs rectification.
7. Geo referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
4. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
5. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

23.11.2022

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}